



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन 1948 (श10)
(सं0 पटना 1156) पटना, शुक्रवार, 25 सितम्बर 2026

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
24 सितम्बर 2026

सं० 09/न०वि०मा०प्ला०(आ०क्षे०)-07/2026-10190/न०वि० एवं आ०वि०—विकास आयुक्त —सह—अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक-08.09.2026 को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पन्द्रहवीं बैठक में गया जी एवं बोधगया आयोजना क्षेत्र के एकीकृत मास्टर प्लान, 2047 (प्रारूप) पर गजट में प्रकाशन के माध्यम से 60 दिनों तक आमजनों/हितधारकों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

उक्त के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा 24 के तहत तैयार गया जी एवं बोधगया आयोजना क्षेत्र के एकीकृत मास्टर प्लान, 2047 (प्रारूप) को उक्त अधिनियम की धारा 26 के तहत गजट में प्रकाशन की तिथि से अगले 60 दिनों तक के लिए आमजनों/हितधारकों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए उक्त प्रारूप को अधिसूचित किया जाता है।

उक्त से संबंधित आपत्ति/सुझाव प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया जी—सह—अध्यक्ष, गया जी जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को डाक/कुरियर से अथवा Email (divcom-magadh-bih@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1156—571+200-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>